काफी समय तक पुलिस हिरासत में या जेल में। क्या यह उसे सेवा में बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त करार देने के लिए पर्याप्त होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। अंततः यह पाया जा सकता है कि वह आदमी पूरी तरह से निर्दोष था। जेल में उनका प्रतिधारण पूरी तरह से अनुचित था। अपराधियों की संगति में भी जेल में रहने का तथ्य, उसे सेवा में बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त नहीं बना देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को अंततः आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध का दोषी पाया गया था, जेल में उसका प्रतिधारण पूरी तरह से अनुचित नहीं हो सकता था। लेकिन मामले की परिस्थितियों में, मेरी स्पष्ट राय है कि न तो सजा का तथ्य और न ही जेल में रखा जाना यह मानने के लिए पर्याप्त था कि याचिकाकर्ता ऐसे कदाचार का दोषी था जो उसे सेवा में बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त बना सकता है।

(9) एकमात्र अन्य मामला जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह 8 जून 1985 से 17 जुलाई 1986 की अवधि के वेतन के संबंध में है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह राशि शुरू में याचिकाकर्ता को भुगतान की गई थी। यदि बाद में, अधिकारियों ने माना कि भुगतान अवैध था, और याचिकाकर्ता से धनराशि की वसूली की जानी थी, तो उसे कारण बताने का अवसर दिया जाना था। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया.

(10)यह ध्यान देने योग्य बात है कि सेना से छुट्टी मिलने से पहले, याचिकाकर्ता को उसकी सेवा के रिकॉर्ड के आधार पर 19 जनवरी, 1994 तक सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त माना गया था। जाहिर है, उसकी सेवा का रिकॉर्ड अच्छा है। परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, मैं सेवामुक्त करने के आदेश (अनुलग्नक पी-9) को रद्द करता हूं और उत्तरदाताओं को 8 जून 1985 से 17 जुलाई 1986 तक की अवधि के वेतन और भत्ते के भुगतान से संबंधित प्रश्न पर सुनवाई के बाद निर्णय लेने का निर्देश देता हूं। याचिकाकर्ता. वेतन के बकाया की प्रकृति में परिणामी राहतें दी जाएंगी। मामले की परिस्थितियों में, मैं पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ता हूं।

आरएनआर

पहले: एमएस लिब्रहान और जीसी गर्ग। जे.जे.

दलीप सिंह गिल,-याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य,-प्रतिवादी।

*सिविल रिट याचिका संख्या*1982 का 9759.

4 अगस्त 1992.

*भारत का संविधान,*1950—कला. 226-याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले न्यायाधीशों, उनके रिश्तेदारों आदि के खिलाफ बेतुके और लापरवाह आरोप लगाना, जिससे स्वतंत्रता कमजोर हो रही है

*न्यायपालिका की - याचिकाकर्ता अपने बेटे के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के कारण हुई व्यक्तिगत चोट से प्रेरित है - न्यायपालिका को बदनाम करने और उसकी प्रतिष्ठा को कम करने के उद्देश्य से लगाए गए ऐसे आरोप निंदनीय हैं - याचिका दायर नहीं की गई है*प्रो बोनो पब्लिको को खारिज किया जा सकता है - याचिकाकर्ता न्यायाधीशों के स्थानांतरण की भी मांग कर रहा है - ऐसी राहत देना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है - न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अधिकारियों की सिफारिश करते समय कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

*आयोजित,*सभी न्यायाधीशों के तबादलों को रोक कर रखा गया है और मैं एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कह सकता हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामान्य स्थानांतरण खतरे और भेदभाव से भरे होंगे जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त हो सकती है। महज़ कागजी नारा.

(पैरा 17)

*आयोजित,*सिफारिश करने वाले प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए सिफारिश करने से पहले उसकी क्षमता पर विचार करेगा जिसमें कानून में उसके उपकरण, धारणा, कानूनी और अन्य जटिल समस्याओं से निपटने की क्षमता, समझने की क्षमता, उसकी न्यायिक क्षमता/परिपक्वता, शिष्टता और समता शामिल है। स्वभाव, संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण, मनाने और मनवाने की क्षमता, धैर्य, टीम भावना, निष्पक्षता, विश्लेषणात्मक दिमाग और दूसरों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता। अनुशंसा करने वाले और नियुक्ति करने वाले अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ईमानदारी और चरित्र, कानूनी बिरादरी और समाज में प्रतिष्ठा, उनके पूर्ववृत्त, न्यायाधीश के पद के लिए उनकी उपयुक्तता जैसे कारकों के अलावा अन्य बातों का भी ध्यान रखेंगे। विशेष विशेषज्ञता वाले न्यायाधीश के लिए न्यायालय और बार और सेवारत न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बीच पारंपरिक अनुपात बनाए रखना। इन कारकों को न केवल सिफारिश करने वाले प्राधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, बल्कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नामों पर विचार करने की प्रक्रिया में शामिल सभी प्राधिकारियों द्वारा भी इन्हें प्रभावी बनाया जाना है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति।

(पैरा 19 एवं 20)

*आगे आयोजित,*न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों का विश्वास सार्वजनिक हित या समाज के हित में सर्वोपरि है। अनादिकाल से सतत परंपरा द्वारा विकसित, स्थापित, स्वीकृत न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों के विश्वास की रक्षा करना हममें से प्रत्येक का, विशेषकर वकीलों, न्यायाधीशों, विधायकों और कार्यपालिका का कर्तव्य है। न्यायाधीशों के जीवन में व्यावसायिक खतरों के बावजूद विचार की स्वतंत्रता, भय और पक्षपात के बिना न्याय करना ही न्यायाधीशों का धर्म है। प्रतिष्ठा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक व्यक्ति वास्तव में बोर्ड से ऊपर होना और इसमें क्षमता और अखंडता शामिल है। एक न्यायाधीश का आचरण ही उसकी प्रतिष्ठा की एकमात्र सुरक्षा है। समाज या बड़े पैमाने पर

(पैरा 21)

लोग बौद्धिक ईमानदारी, नैतिक ईमानदारी और न्याय करने की उसकी उत्सुकता को मानते हैं। न्यायाधीश से सभी मामलों में स्वतंत्र और बोर्ड से ऊपर होने की अपेक्षा की जाती है।

(पैरा 21)

*आगे आयोजित,*यदि मैं यह कहने का साहस कर सकूं कि पुरानी सतर्कता और सत्ता के प्रति सम्मान के क्षरण के साथ, प्रबुद्ध पीढ़ी, अपने संदेह में सच्चाई के कुछ अंश के साथ, न्याय के साथियों के आचरण, उनके गिरते नैतिक मूल्यों, परंपराओं, शुद्धतावादी मानकों के बारे में भौंहें चढ़ा रही है। , आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत की कमी जो बदले में सिस्टम में लोगों के विश्वास को नष्ट कर रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्तिगत कहानियाँ प्रचलन में हैं, हालाँकि ईऑनकार्ड हो सकते हैं फिर भी ये प्रचलन में हैं। मुझे आशा है कि ईमानदारी के संबंध में कोई भी शिकायत गैरजिम्मेदारी से नहीं की जाएगी, बिना यह समझे कि इससे पूरी इमारत खतरे में पड़ जाएगी। सामाजिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं और आरोप हैं

समझ से भी परे. व्यक्ति कभी-कभी जानबूझकर या अनजाने में ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे उनके स्वयं के कद और छवि के साथ-साथ उस संस्थान की छवि भी ख़राब हो जाती है जिससे वे जुड़े हैं। लेकिन हर तथ्य तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता है और अलग-अलग व्यक्तिगत उदाहरणों से एक समुदाय के रूप में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के बारे में सामान्यीकरण निकालना विवेकपूर्ण नहीं होगा। न्यायपालिका के पास जांच करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है, खासकर जब लोकतंत्र ने आपराधिक सहित सभी प्रकार की रचनात्मकता को जारी किया है और नए जोड़े हैं। इच्छाएँ, महत्त्वाकांक्षाएँ और निराशाएँ। न्यायाधीश के अशोभनीय आचरण के असाधारण आचरण के तहत न्यायपालिका विघटन की ओर बढ़ रही है, जो कि एक बेंच के एक गलत सदस्य द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे समझने का काम या तो ज्योतिष या संबंधित व्यक्ति को करना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हममें से कुछ लोगों ने अपने आचरण से या तो मासूमियत से या जानबूझकर बड़े पैमाने पर लोगों को गाली-गलौज करने और अपनी इच्छानुसार टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया है। यह निष्पक्षता के बारे में कठोर धारणा हो सकती है, फिर भी यह इस सिद्धांत के साथ छेड़छाड़ करती है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है। इस अवधारणा से कोई झगड़ा नहीं है कि आत्मविश्वास को प्रेरित करने के लिए ईमानदारी के संबंध में प्रतिष्ठा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी व्यक्ति की बोर्ड से ऊपर रहने की वास्तविक क्षमता। न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च गणमान्य व्यक्तियों के संबंध में बेधड़क आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यायाधीशों से समाज की यह अपेक्षा है कि सीज़र की पत्नी की तरह वे भी संदेह से परे रहें। एक न्यायाधीश का आचरण हमेशा सूक्ष्म परीक्षण के अधीन होता है, माइक्रोस्कोप लोगों के पास होता है, व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों के पास होता है। मेरे विचार में यह बहुत छोटी सी कीमत है जो किसी को समाज द्वारा न्यायाधीशों को दिए जाने वाले सम्मान के लिए चुकानी पड़ती है।

(पैरा 23)

*आगे आयोजित,*यदि एक न्यायाधीश की नसें अस्थिर हैं या वह डरपोक है तो वह अपने पद के नाम के लायक नहीं होगा। यह कहना बेहद अपमानजनक होगा कि इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति अपने वार्डों या अपने सहयोगियों को संरक्षण देने में लगा रहेगा। इसे एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना होगा, न कि अत्यंत संदेहास्पद व्यक्ति के दृष्टिकोण से या उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो उसके लिए सबसे अच्छे ज्ञात कारणों से

यह मानता है कि उसके अलावा कोई भी ईमानदार और इसका समर्थन करने में सक्षम नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता. क्या व्यक्तियों द्वारा उठाए गए संदिग्ध मामलों के लिए पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, चाहे वह मुकदमे में वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफलता के कारण हो या राजनीतिक कारणों से या किसी अन्य की हताशा के कारण।

प्रकृति। हमारे विचार में ऐसे संदेहों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये संस्थान में जनता के विश्वास को कम कर सकते हैं और सिस्टम के लिए ही खतरा पैदा कर सकते हैं।

(पैरा 30)

*आगे आयोजित किया गया*चूंकि कानून न्यायाधीशों के साथ-साथ न्यायाधीशों को भी बांधता है, इसलिए न्यायपालिका पर विशेष रूप से भरोसा किया जाना चाहिए जब न्यायिक समीक्षा की शक्तियां बेलगाम घोड़े नहीं हैं क्योंकि अदालतें विवेक के क्षेत्र को सीमित करने वाली प्रक्रियाओं, नियमों, उदाहरणों और परंपराओं से बंधी हैं।

(पैरा 33)

*आगे आयोजित,*स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और साथ ही इस प्रक्रिया से स्थानांतरित न्यायाधीशों की छवि को होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखना होगा। एक न्यायाधीश का एकमात्र कमाई का आभूषण उसकी स्वतंत्र और बोर्ड से ऊपर होने की प्रतिष्ठा है, जिसे आगे चलकर एकमात्र व्यावसायिक संतुष्टि भी कहा जा सकता है, जिसे जनता में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, जिसमें न केवल उसकी वास्तविक स्वतंत्रता शामिल होती है। मन ही नहीं बल्कि जनता में हर दृष्टि से अपनी स्वतंत्रता के प्रति जो विश्वास है।

(पैरा 37)

*आगे आयोजित,*उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गरिमा को उस व्यक्ति द्वारा हास्यास्पद और हिंसक तरीके से ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो समर्थक सार्वजनिक के रूप में कार्य करने का दावा करता है लेकिन जो वास्तव में अपनी व्यक्तिगत चोट से उकसाया गया है। हम खुद को यह कहने से नहीं रोक सकते कि न्यायपालिका की शुचिता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार न्यायपालिका के कुछ प्रमुख अपनी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर प्रचलित विभिन्न कहानियों के कारण विशेष विचारों में आ गए होंगे और प्रेस में जाकर बड़े पैमाने पर आरोप लगाए होंगे, जिससे न्यायपालिका ही प्रदूषित हो गई होगी। न्याय का फव्वारा जिसके वे स्वयं संरक्षक थे। हमें इसका कोई कारण नहीं मिलता है कि क्योंकि कुछ लोग किसी विषय पर अलग-अलग विचार रखते हैं, तो उन्हें दूसरों को अनावश्यक विचारों को मानने वाले के रूप में ब्रांड करना चाहिए, खासकर जब वर्तमान न्यायपालिका उनकी उत्तराधिकारी है, जिनकी नियुक्तियों में वे प्रमुख भागीदार थे। हमें वर्तमान न्यायपालिका से पहले के व्यक्तियों द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को अपमानित करने और उन्हें लांछित करने का प्रयास करने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के

(पैरा 41)

सगे-संबंधियों का उसी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करना कोई नई या हालिया उत्पत्ति की बात नहीं है। यह एक सदी पुरानी परंपरा है. यह अज्ञात नहीं है कि जहाँ पुत्र अपने पिता के समक्ष उपस्थित हुए थे, वहाँ भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का झंडा ऊँचा रखा गया था। न्यायपालिका के ख़िलाफ़ मौजूदा आक्षेप और उसे बदनाम करने की प्रेरणा को समझना हमारे बस की बात नहीं है।

(पैरा 40)

*आगे आयोजित,*हमारी राय में इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

*आयोजित, आगे,*धारणाओं और अनुमानों पर किए गए गंजे बयानों को देखते हुए, हस्तक्षेप से बचना बुद्धिमानी है और इसलिए हम याचिका को अस्वीकृति के एक मजबूत नोट के साथ खारिज करते हैं। हम आशा करते हैं कि याचिकाकर्ता का आचरण। ऐसे लापरवाह बयान देना, जो लोगों को न्यायपालिका में विश्वास खोने के लिए उकसाकर समाज में अराजकता पैदा करने के प्रयास से कम नहीं है, उन सभी लोगों द्वारा निंदा की जाएगी और मजबूत हाथों से उन पर अंकुश लगाया जाएगा, जो व्यवस्थित समाज में रुचि रखते हैं और विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में, जो हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है।

(पैरा 42)

*अंत में आयोजित,*फैसले से अलग होने से पहले, हम अपनी पवित्र इच्छा व्यक्त कर सकते हैं कि राज्य न्यायपालिका की गिरती छवि को पुनर्जीवित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की नीति को लागू करेगा।

(पैरा 43)

*अनुच्छेद के तहत सिविल रिट याचिका*भारत के संविधान के 226 में प्रार्थना की गई है कि सुनवाई के समय इस माननीय न्यायालय के समक्ष पहले से ही दिए गए या लिए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय उच्च न्यायालय बहुत कृपापूर्वक उत्तरदाताओं के उत्तर और उसकी जांच करने के बाद, कृपया: -

(a) *आदेश निर्देश की रिट या प्रकृति की रिट सहित एक रिट जारी करें*आदेश दिया गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान माननीय न्यायाधीशों को कोई न्यायिक कार्य आवंटित नहीं किया जाना चाहिए यदि उनके बेटे/बेटियाँ/भाई या अन्य रिश्तेदार (सगे-संबंधी) उसी माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हों। अधिवक्ता, उप महाधिवक्ता/सहायक। महाधिवक्ता या अपर. एक ही उच्च न्यायालय के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

(b) *आदेश निर्देश की रिट या प्रकृति की रिट सहित एक रिट जारी करें*माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किए गए पूर्व अधिवक्ताओं को यह निर्देश देने के लिए आदेश दिया गया है कि वे अपने आधिपत्य द्वारा पहले ली गई फीस, जो लंबित हैं/दायर नहीं की गई हैं, रुपये की दर से ब्याज के साथ

वापस करें। 18 प्रतिशत या विकल्प में कुछ वरिष्ठ वकील (पसंद के अनुसार) उस ब्रीफ के संबंध में मामले में नि:शुल्क बहस करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने दामादों या भाइयों आदि को छोड़कर पूरी फीस ली थी।

(c) *आदेश निर्देश की रिट या प्रकृति की रिट सहित एक रिट जारी करें* उत्तरदाताओं क्रमांक 1 को यह निर्देश देने का परमादेश कि सभी माननीय न्यायाधीश जिनके पुत्र हैं। दामाद, भाई/बेटियाँ और अन्य रिश्तेदार उसी माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें किसी अन्य माननीय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है, प्रकाशित समाचार पत्रों में.

(पैरा 41)

(d) *कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करें जैसा कि यह भयानक उच्च न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।*

(e) *कोई अन्य राहत प्रदान करें, जिसका याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।*

(f) *अनुबंधों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट।*

(g) *मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस देने की आवश्यकता से छूट दी जाए।*

(h) *इस याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दें।*

इसलिए प्रार्थना की जाती है कि रिट को लागत सहित स्वीकार कर लिया जाए।

निर्णय

एमएस लिब्रहान, जे.

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के माध्यम से तीन गुना प्रार्थना की: -

(i) प्रतिवादी-न्यायाधीशों, उनके सगे-संबंधियों को उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं या महाधिवक्ता के कार्यालय में काम कर रहे हैं, को काम आवंटित नहीं करना;

(j)) बेंच में पदोन्नत किए गए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को या तो ब्याज सहित ली गई फीस वापस करने का निर्देश दें या याचिकाकर्ता की पसंद के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बिना किसी शुल्क के उसके मामले पर बहस करने का निर्देश दें, और

(k) i) न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए निर्देश दिये जायें।

(2) याचिका के निपटारे के लिए याचिका के सार-संक्षेप से निष्कर्ष निकालते हुए, याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण से, निम्नलिखित तथ्यों को बुना जा सकता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने अपने बेटे को न्यायिक अधिकारी यानी अधीनस्थ न्यायाधीश के पद से हटाने को चुनौती देने के लिए रिट याचिका

दायर करने के लिए प्रतिवादियों में से एक को नियुक्त किया था। बाद में प्रतिवादी को बेंच में भेज दिया गया और उसने रिट याचिका दायर नहीं की, और छूट देने की सलाह दी, क्योंकि उसने याचिकाकर्ता से कहा था कि चूंकि उसकी एक नामित न्यायाधीश के साथ बातचीत हुई थी, जो याचिकाकर्ता के बेटे के खिलाफ था, इसलिए याचिकाकर्ता को तब तक राहत नहीं मिलेगी जब तक नामित न्यायाधीश बेंच पर हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपनी पदोन्नति पर, उन्होंने अपने भाई और बेटी को रुपये के भुगतान पर याचिकाकर्ता के वकील के रूप में नियुक्त किया। शुल्क के रूप में 7,000, इस तथ्य के बावजूद कि वह पहले ही रुपये ले चुका था। उनकी फीस 18,000 रुपये थी और उनके द्वारा कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई थी। देर से आए वकील द्वारा अस्पष्ट रूप से रिट दाखिल करने को स्वीकार किया गया। याचिकाकर्ता के बेटे को उचित राहत दिलाने के लिए याचिकाकर्ता के वकील की ओर से सक्रियता नहीं है

कुछ अन्य वादियों को राहत दिलाने का श्रेय दिया गया। अंत में याचिका में एक स्पष्ट दावा किया गया कि उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले न्यायाधीशों के वार्ड या रिश्तेदार अत्यधिक प्रैक्टिस कर रहे हैं जो उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं है।

(3) याचिकाकर्ता ने अपनी प्रार्थना का समर्थन करने के उत्साह के साथ समय-समय पर प्रकाशित विभिन्न समाचारों का संदर्भ दिया। सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का भाषण, मुख्य न्यायाधीश वेंकटरमैया द्वारा न्यायाधीशों द्वारा स्थानीय दबावों के आगे झुकने, उनके वार्डों द्वारा उनकी योग्यता के विपरीत आचरण करने, उनके शराब पीने और बाहर भोजन करने के संबंध में दिया गया बयान बताया गया है। और उनके भव्य पार्टियों में भाग लेने का उल्लेख याचिका में किया गया था। 90 में से 4 से 5 जजों का हवाला दिया गया जिनके संबंध में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ने कथित बयान दिया था.

(4)याचिकाकर्ता ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर जादू-टोना करने का प्रयास किया। याचिकाकर्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किए गए निष्कासन संस्करण का अर्थ यह है कि न्यायाधीशों के रिश्तेदार और वार्ड उनकी योग्यता के अनुपात से बाहर अभ्यास कर रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि कोई अपनी स्वतंत्रता के बारे में कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, सभी न्यायाधीशों के संबंध में स्थानीय दबाव के आगे झुकते हुए, राजनीतिक दृष्टिकोण के संबंध में सामान्य व्यापक आरोप लगाए गए। याचिकाकर्ता ने जजों के तबादले की कुछ नीति के संबंध में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के बयान का हवाला देकर उसे लागू करने की मांग की. यह दूर-दूर तक निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि मुख्य न्यायाधीश के बयान का क्या मतलब था यानी क्या न्यायाधीशों के स्थानांतरण की नीति उन लोगों के संबंध में थी जो शराब पीते थे और भोजन करते थे या स्थानीय दबाव के आगे झुक जाते थे या यह अन्य कई प्रासंगिक कारकों के बावजूद सभी के लिए था। . न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के आचरण की जांच के लिए मशीनरी स्थापित करने के साथ-साथ न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता प्रदान करने के लिए टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था।

(5) इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने बहस के दौरान अस्पष्ट, लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना व्यापक आरोप लगाने की

जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया। बस यह अनुरोध किया गया था कि विभिन्न प्रकाशनों में की गई टिप्पणियों के संदर्भ हटा दिए जाएं।

(6) देश उसमें रहने वाले लोगों का और उनके लिए है। लिखित संविधान द्वारा भारत के लोगों ने अपने शासन के लिए जीवन का लोकतांत्रिक तरीका चुना और सभी के लिए न्याय हमारी व्यवस्था में आवश्यक विशेषताओं में से एक है। मनुष्य की चालाक प्रकृति को देखते हुए, संविधान के सिद्धांत को, कानून के शासन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है क्योंकि यह

कानून और केवल कानून ही समाज की सुरक्षा और व्यवस्थित कामकाज सुनिश्चित करता है। कानून के माध्यम से ही एक कल्याणकारी राज्य में मानवीय संबंध व्यवस्थित रूप से संचालित होते हैं। कानून के बिना जीवन क्रूर होगा और पराक्रम सही है का नियम कायम रहेगा और यह जंगल का शासन होगा।

(7) किसी भी सभ्य समाज के शांतिपूर्ण जीवन और प्रगति के लिए कानून, न्यायालयों और अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकार का सम्मान करना आवश्यक है। सभ्य समाज ही लोकतंत्र का सार है, जो हमारे संविधान की मूल अवधारणा है।

(8) लोगों द्वारा स्वयं पर शासन करने के लिए विकसित तंत्र एक लिखित संविधान के माध्यम से है। यह मूल रूप से सरकार के तीन स्वतंत्र विंग प्रदान करता है। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक।

(9) प्रत्येक विंग की कार्यप्रणाली को व्यक्तिगत रूप से ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं ने न्यायिक प्रणाली की स्थापना और कार्यप्रणाली के लिए स्पष्ट और विस्तृत प्रावधान किए। न्यायपालिका की स्थापना के लिए अध्याय IV भाग V का संदर्भ लिया जा सकता है। इसके अलावा व्यवस्था की मिश्रित संघीय संरचना को ध्यान में रखते हुए, राज्य के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना संविधान के भाग VI अध्याय V द्वारा की गई है।

(10)इस स्तर पर राज्यों में सर्वोच्च न्यायिक निकाय, उच्च न्यायालयों की स्थापना और कामकाज के लिए संविधान के प्रावधानों और योजना पर ध्यान देना समीचीन होगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए तंत्र

प्रदान करता है, अनुच्छेद 217 में इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके और न्यायाधीश के कार्यालय की शर्तों का ध्यान रखा गया है। अंतिम प्रावधान जो निर्णय के बाद के भाग में विचार के लिए आएगा वह अनुच्छेद 222 होगा जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को स्थानांतरण की शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह निम्नानुसार चलता है:

"न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण:

"222 (1) भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं।

(2) जब एक न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वह संविधान (पंद्रहवें संशोधन) अधिनियम, 1963 के प्रारंभ होने के बाद अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अवधि के दौरान, प्राप्त करने का हकदार होगा।

उसके वेतन में ऐसा प्रतिपूरक भत्ता जोड़ा जाएगा जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और, जब तक कि ऐसा निर्धारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसा प्रतिपूरक भत्ता जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा तय कर सकता है।"

(11)अनुच्छेद 225 द्वारा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की देखभाल की गई है। अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्यरत न्यायाधिकरणों के अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 227 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कर्मचारियों से निपटने का अधिकार है और अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए अन्य प्रतिबद्धताएँ लिखित संविधान में ही स्पष्ट रूप से प्रदान की गई हैं।

(12)संवैधानिक व्यवस्था के संस्थापकों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोगों के प्रभावी शासन के लिए मुख्य रीढ़ माना। इस बात से इनकार नहीं

किया जा सकता है कि न्यायपालिका संविधान के समुचित कार्य के लिए प्रहरी है जो शासन की प्रभावी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जरूरी है। यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है. हालाँकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और इसे सुरक्षित रखने के लिए संविधान में प्रचुर प्रावधान किए गए हैं, फिर भी इसे जनता की राय और बेंच और बार दोनों द्वारा बनाए गए आचरण के मानकों द्वारा गारंटी और सुरक्षित किया जाना चाहिए।

(13)इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संविधान के समुचित कामकाज के लिए सर्वोपरि कारक यह है कि संविधान के प्रत्येक पदाधिकारी को अपनी सीमा के भीतर रहना चाहिए। इसे मूल रूप से स्वयं लगाए गए अनुशासन और संयम से सामान्य रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रथागत रूप से उपयोग के साथ-साथ न्यायशास्त्रीय या वैचारिक या वैधानिक रूप से स्थापित है कि न्यायपालिका को शासन प्रणाली के अन्य अंगों के कार्यों को हड़पना नहीं चाहिए। उसे मानकों के लिए अपना दर्शन थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

(14)मूल रूप से न्यायपालिका के प्राथमिक कार्यों में तथ्यों पर कानून का अनुप्रयोग शामिल है, हालांकि कभी-कभी न्यायिक निर्णय और प्रशासन के बीच एक रेखा खींचना मुश्किल हो सकता है। इसका उद्देश्य कानून की घोषणा करना, प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी शक्तियों का अतिक्रमण करने से रोकना, नागरिकों के प्रति सार्वजनिक अधिकारियों के कर्तव्यों के पालन का निर्देश देना और नागरिकों के लिए उपलब्ध वैधानिक लाभों को लागू करना है। यह न्यायपालिका का कार्य है कि वह विधायिकाओं के मन, उनके इरादे की व्याख्या करे और परिणामों की परवाह किए बिना इसे लागू करे, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विधायिका ही लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। मैं कर सकता हूँ

यह जोड़ने में जल्दबाजी करें कि न्याय करते समय न्यायिक प्रणाली के पदाधिकारियों को मामले के तथ्यों, कानून और परिस्थितियों का ध्यान रखना होगा।

(15) न्यायपालिका अपने पास उपलब्ध न्यूनतम जानकारी और जनता से अलग होने के कारण यह कहने में सबसे अधिक असमर्थ है कि कानून क्या होना चाहिए, हालांकि कुछ असाधारण मामलों में, यह बदलते समाज की मांग को पूरा करने के लिए लुभाया जा सकता है या पर्याप्त न्याय करने की दृष्टि से, वह उस पतली रेखा को पार कर सकता है जो तीनों अंगों के संचालन के क्षेत्रों का सीमांकन करती है। मैं यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकता हूं कि निर्धारित कानून के अनुसार न्याय करते समय सरकार के किसी अन्य विंग के कार्यों पर निर्णय लेने से पहले अत्यधिक सावधानी और सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह वैधानिक रूप से या अन्यथा प्रदान की गई निश्चित सीमा से आगे नहीं जा सकता है, तो उसे खुद को नियंत्रित करना चाहिए और बदलते समाज की जरूरतों को पूरा करने के साधन तैयार करने के लिए इसे विधायिका पर छोड़ देना चाहिए।

(16) मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि अधिकारियों की कैटेना द्वारा स्थापित व्याख्यात्मक सिद्धांत हैं: (i) किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य कार्रवाई के एक विशेष पाठ्यक्रम के अनुरूप किसी क़ानून में शब्दों की आपूर्ति न्यायिक कार्यों का दायरा नहीं है। एक आदर्श संविधान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कोई भी अपने स्वयं के बौद्धिक मानदंड या अपनी स्वयं की अचेतन भविष्यवाणियों के अनुसार संविधान का पुनर्गठन नहीं कर सकता है। (ii) अदालतें यह नहीं मान सकतीं कि विधायिका ने या तो गलती की है या गलती की है या कुछ ऐसा छोड़ दिया है जो बहुत जरूरी है। संविधान द्वारा प्रशासित प्रावधानों में पाए गए किसी भी दोष को दूर करना अन्य संवैधानिक विंगों का काम है, (iii) किसी कार्य को करने का अप्रत्यक्ष तरीका/तरीका स्वीकार्य नहीं है। Civ) सकारात्मक शब्द अक्सर अपने संचालन में पुष्टि किए गए शब्दों के अलावा नकारात्मक वस्तुओं का उपयोग करते हैं।

(17) अनुच्छेद 222 द्वारा संविधान राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है, लेकिन साथ ही सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण को रोक दिया गया है और मैं एक उद्देश्य के साथ कह सकता हूं ऐसा माना जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सामान्य स्थानांतरण खतरे और भेदभाव से भरा होगा, जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की स्वतंत्रता महज एक कागजी नारा बनकर रह जाएगी।

(18) इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यूडिसीरव संस्था को स्थापित होने में बहुत समय लगा। इसके पदाधिकारियों ने कानून, परंपरा, प्रथाओं, रीति-रिवाजों आदि द्वारा स्थापित

मापदंडों के भीतर बिना किसी पक्षपात और भय के काम करते हुए लोगों का विश्वास अर्जित किया।

संस्था पर जनता को भरोसा है। बड़े पैमाने पर स्थानांतरण प्रणाली की संपूर्ण इमारत को ख़तरे में डाल सकता है। यहां तक कि विधि आयोग ने भी न्यायपालिका में व्याप्त बुराइयों से निपटने के लिए बाहर से केवल प्रथम/तीसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की। यहां तक कि यह विचार या नीति भी बहस के लिए खुली है जो फिर से विधानमंडल के दायरे में है।

(19) आम तौर पर, यह अपेक्षा की जाती है कि एक न्यायाधीश की नियुक्ति के समय उसकी योग्यता, क्षमता, निष्ठा, संकीर्ण प्रवृत्ति, जाति और अन्य स्थानीय संबंध, संबद्धता, शैक्षिक योग्यता, अभ्यास में बिताए गए वर्षों की संख्या, अभ्यास की प्रकृति, क्षेत्र। विशेषज्ञता, अभ्यास की सीमा, वित्तीय संसाधन, राजनीतिक दलों के साथ संबंध, समाज में स्थिति, अन्य पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ, उच्च न्यायालय के अभ्यासरत वकीलों के साथ उनके संबंध, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों के साथ संबंध, उनकी भागीदारी आपराधिक मामलों, उसके रोजगार और उच्च न्यायालय में उसकी पसंद जिसमें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है आदि पर विचार किया जाता है और उसे ध्यान में रखा जाता है। सिफारिश करने वाले प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए सिफारिश करने से पहले उसकी योग्यता पर विचार करे, जिसमें कानून में उसके उपकरण, धारणा, कानूनी और अन्य जटिल समस्याओं से निपटने की क्षमता, समझने की क्षमता, उसकी न्यायिक क्षमता/मैटक्सिरिटी, शिष्टता और समता शामिल है। स्वभाव, संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण, मनाने और मनवाने की क्षमता, धैर्य, टीम भावना, निष्पक्षता, विरोधी दिमाग और दूसरों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता। अनुशंसा करने वाले और नियुक्ति करने वाले अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ईमानदारी और चरित्र, कानूनी बिरादरी और समाज में प्रतिष्ठा, उनके पूर्ववृत्त, न्यायाधीश के पद के लिए उनकी उपयुक्तता जैसे कारकों के अलावा अन्य बातों का भी ध्यान रखेंगे। न्यायालय विशेष विशेषज्ञता वाला न्यायाधीश और बार और सेवारत न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बीच पारंपरिक अनुपात बनाए रखना।

(20) उपरोक्त वर्णित कारकों को न केवल सिफारिश करने वाले प्राधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, बल्कि उन्हें न्यायाधीशों

की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नामों पर विचार करने की प्रक्रिया में शामिल सभी प्राधिकारियों द्वारा भी प्रभावी बनाया जाना है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति।

(21) न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों का विश्वास सार्वजनिक हित या समाज के हित में सर्वोपरि है। अनादिकाल से सतत परंपरा द्वारा विकसित, स्थापित, स्वीकृत न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों के विश्वास की रक्षा करना हममें से प्रत्येक का, विशेषकर वकीलों, न्यायाधीशों, विधायकों और कार्यपालिका का कर्तव्य है। व्यावसायिक खतरों के बावजूद

न्यायाधीशों के जीवन में विचारों की स्वतंत्रता, भय और पक्षपात के बिना न्याय करना ही न्यायाधीशों का धर्म है। प्रतिष्ठा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक व्यक्ति वास्तव में बोर्ड से ऊपर होना और इसमें क्षमता और अखंडता शामिल है। एक न्यायाधीश का आचरण ही उसकी प्रतिष्ठा की एकमात्र सुरक्षा है। समाज या बड़े पैमाने पर लोग बौद्धिक ईमानदारी, नैतिक ईमानदारी और न्याय करने की उसकी उत्सुकता को मानते हैं। न्यायाधीश से सभी मामलों में स्वतंत्र और बोर्ड से ऊपर होने की अपेक्षा की जाती है।

(22) निर्णय के पहले भाग में उल्लिखित संविधान के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति तक न्यायपालिका के कामकाज के लिए एक विस्तृत और विस्तृत योजना प्रदान की है। . न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सर्वोपरि विचार और परम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका के कामकाज के लिए बुनियादी मानदंड संविधान और समय-समय पर बनाए गए कानूनों द्वारा बताए गए हैं। संविधान स्वयं स्पष्ट रूप से उस प्राधिकारी को निर्धारित करता है जो सार्वजनिक हित में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 का संदर्भ लिया जा सकता है।

(23) यदि मैं यह कहने का साहस कर सकूं कि पुरानी सतर्कता और प्राधिकार के प्रति सम्मान के क्षरण के साथ, प्रबुद्ध पीढ़ी ने, अपने संदेहों में सच्चाई के कुछ अंश के साथ, न्याय के साथियों के आचरण, उनके गिरते नैतिक

मूल्यों, परंपराओं, शुद्धतावादी मानकों के बारे में भौंहें चढ़ा ली हैं। , आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत की कमी जो बदले में सिस्टम में लोगों के विश्वास को नष्ट कर रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्तिगत कहानियाँ प्रचलन में हैं, हालाँकि कुछ कड़ियाँ हो सकती हैं फिर भी ये प्रचलन में हैं। मुझे आशा है कि अखंडता के संबंध में कोई भी शिकायत गैरजिम्मेदारी से नहीं की जाएगी, बिना यह समझे कि इससे पूरी इमारत खतरे में पड़ जाएगी। सामाजिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं और परिवर्तन समझ से भी परे हैं। व्यक्ति कभी-कभी जानबूझकर या अनजाने में इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं जिससे उनके स्वयं के कद और छवि के साथ-साथ उस संस्थान की भी छवि खराब हो जाती है जिससे वे जुड़े हैं। लेकिन हर तथ्य तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता है और अलग-अलग व्यक्तिगत उदाहरणों से एक समुदाय के रूप में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के संबंध में सामान्यीकरण निकालना विवेकपूर्ण नहीं होगा। न्यायपालिका के पास जांच करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है, खासकर तब जब लोकतंत्र ने आपराधिक सहित सभी प्रकार की रचनात्मकता को मुक्त कर दिया है और नई इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और निराशाओं को जोड़ा है। न्यायपालिका एक न्यायाधीश के अशोभनीय आचरण के असाधारण आचरण के तहत विघटन की ओर आगे बढ़ रही है, जो एक बेंच के एक गलती करने वाले सदस्य द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे समझना या तो ज्योतिष या संबंधित व्यक्ति को है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हममें से कुछ लोगों ने ऐसा किया है

हमारे स्वयं के आचरण ने या तो मासूमियत से या जानबूझकर बड़े पैमाने पर लोगों को गाली-गलौज करने और अपनी इच्छानुसार टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया। यह निष्पक्षता के बारे में कठोर धारणा हो सकती है, फिर भी यह इस सिद्धांत के साथ छेड़छाड़ करती है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है। इस अवधारणा से कोई झगड़ा नहीं है कि आत्मविश्वास को प्रेरित करने के लिए ईमानदारी के संबंध में प्रतिष्ठा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी व्यक्ति की बोर्ड से ऊपर रहने की वास्तविक क्षमता। न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च गणमान्य व्यक्तियों के संबंध में बेधड़क आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यायाधीशों से समाज की यह अपेक्षा

है कि सीज़र की पत्नी की तरह वे भी संदेह से परे रहें। एक न्यायाधीश का आचरण हमेशा सूक्ष्म परीक्षण के अधीन होता है, माइक्रोस्कोप लोगों के पास होता है, व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों के पास होता है। मेरे विचार में यह बहुत छोटी सी कीमत है जो किसी को समाज द्वारा न्यायाधीशों को दिए जाने वाले सम्मान के लिए चुकानी पड़ती है।

(24) उन विचारों की प्रतिध्वनि जो कुछ वर्ष पहले व्यक्त किए गए थे और जिन्होंने आज भी अपनी प्रभावकारिता नहीं खोई है। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि वह सब कुछ और पूर्ण सत्य जानता है, न्याय को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता और न ही न्याय प्रशासन की तुलना सामान्य व्यावसायिक उपक्रमों से की जा सकती है।

(25) हम केवल वही देख सकते हैं जो ऊपर देखा गया है, इससे अधिक नहीं।

(26) हमें महर्षि अवधेश बनाम राज्य, एआईआर 1991 इलाहाबाद 53 से हमारी टिप्पणियों में समर्थन मिलता है, जिसमें यह देखा गया था:

> "हम केवल याचिकाकर्ता के तर्क पर ध्यान दे सकते हैं लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी गई संवैधानिक स्थिति को देखते हुए, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। संविधान जानबूझकर न्यायाधीशों और संवैधानिक अधिकारियों के लिए किसी भी आचार संहिता का वर्णन इस उम्मीद में नहीं करता है कि वे ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे उनका या उस संस्थान का कद कम हो जाए जिससे उन्हें इसे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई चिंता के संबंध में हम बस इतना ही देख सकते हैं।" आगे यह देखा गया कि कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

आगे यह देखा गया कि:

> "हमारी राय में यह मुद्दा पूरी तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक है, अदालतों के पास समानता लाने का कोई रास्ता नहीं है। अदालतें

केवल ऐसे निर्देश जारी कर सकती हैं जिनके अनुपालन की वह निगरानी कर सके।"

(27)न्यायाधीशों का स्थानांतरण जनता, न्यायपालिका के सदस्यों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित सभी लोगों के मन को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। भले ही ऐसा हमेशा से नहीं रहा हो, लेकिन अब यह मुद्दा भारतीय न्यायिक प्रणाली द्वारा निर्धारित हमारी न्याय प्रणाली के सामने आने वाली समस्याओं के केंद्र में है। इस सिद्धांत के बीच संतुलन बिठाना होगा कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा इस सिद्धांत कि न्याय किया गया प्रतीत होना चाहिए, को बहुत दूर तक नहीं खींचा जा सकता है।

(28)एक कल्याणकारी राज्य में सरकार को अपने लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यदि कालीन के नीचे धकेल दिया जाए तो चीजें और अधिक मजबूत हो जाएंगी। राज्य को जनता के मन में पशु भय को समाप्त करने के लिए आगे आना चाहिए जो उदासीनता फैला रहा है और व्यवस्था के प्रति अनादर पैदा कर रहा है। सार्वजनिक नीति न तो स्थिर रहती है और न ही स्थिर मोड में रह सकती है। यह शिल्प की एक धारदार तलवार है, जिसका उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाना है। यह कहने में कोई फायदा नहीं है कि न्याय प्रशासन के सामाजिक आयाम होते हैं और निष्पक्ष न्याय में बड़े पैमाने पर समाज की हिस्सेदारी होती है। ऐसी स्थिति में राज्य को कागजी योजनाएं बनाने के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। न्याय की संस्था सदियों से स्थापित आस्था और परंपराओं पर आधारित है। जस्टिस कोक जैसे व्यक्तियों ने शासन को कायम रखने के लिए अपनी जान गंवाई है। कानून और इसे लागू करने या घोषित करने वाली एजेंसियों की स्वतंत्रता। चालीस वर्षों से अधिक समय तक समय-समय पर स्थापित और प्रचलित परंपराओं, रीति-रिवाजों, प्रथाओं, कानूनों के आधार पर निर्धारित मापदंडों के भीतर न्यायपालिका को संतोषजनक ढंग से काम करने और उत्कृष्ट संस्था विकसित करने के बाद, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संदिग्ध व्यक्तियों को दण्ड से मुक्ति के साथ उंगलियाँ उठाने की अनुमति देने से बचें।

(29) न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इसकी स्वतंत्रता में लोगों के विश्वास को वैधानिक कानून बनाकर नहीं बल्कि हमारे निपटान में अन्य सभी तरीकों से बनाए रखना होगा। न्याय न केवल किया गया बल्कि किया हुआ दिखाई भी दिया का सिद्धांत उन वैचारिक पहलुओं में से एक है जिसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। परंपरागत रूप से, पूर्ववर्ती और प्रथागत रूप से यह स्वीकार किया गया है कि विभिन्न संवैधानिक अंगों के नियंत्रण और संतुलन के दुष्चक्र में आखिरकार किसी एक पर भरोसा करना ही पड़ता है, तो न्यायाधीश ही क्यों न हों, नियुक्त किए गए व्यक्तियों को ही इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बने रहने के योग्य होना चाहिए पद और इस फिटनेस में क्षमता के साथ-साथ अखंडता भी शामिल है।

(30)एक न्यायाधीश अपने पद के नाम के लायक नहीं होगा, यदि उसकी नसें अस्थिर हैं या वह डरपोक है। यह असंयमित रूप से होगा

यह कहना अपमानजनक है कि इस तरह के उपदेशित पद पर रहने वाला व्यक्ति अपने वार्डों या अपने सहयोगियों के संरक्षण में हाथ बँटाएगा। इसे एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना होगा, न कि अत्यंत संदेहास्पद व्यक्ति के दृष्टिकोण से या उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो उसके लिए सबसे अच्छे ज्ञात कारणों से यह मानता है कि उसके अलावा कोई भी ईमानदार और इसका समर्थन करने में सक्षम नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता. क्या व्यक्तियों द्वारा अपने मुकदमे में वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफलता के कारण या राजनीतिक कारणों से या किसी अन्य प्रकृति की हताशा के कारण उत्पन्न संदेह के लिए पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। हमारे विचार में ऐसे संदेहों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये संस्थान में जनता के विश्वास को कम करके सिस्टम के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

(31) याचिका में दिए गए कथनों में न्यायपालिका को बदनाम करने का गुप्त प्रयास निहित है। यह नहीं माना जा सकता कि हर चीज़ ख़राब है और हर कोई प्राधिकार या ट्रस्ट या सार्वजनिक प्रकृति की सेवा का पद संभालने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह न्यायाधीश ही हैं जिन्हें लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के गढ़ के रूप में कार्य करना है।

(32) इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चूंकि सर्वोच्च सरकारी अधिकारियों के कार्य न्यायिक समीक्षा और सुधार के अधीन होते हैं, जब वे किसी कानूनी दायित्व का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायिक प्रणाली स्वतंत्रता का एक बड़ा कार्य है। संवैधानिक या कानून के शासन को बनाए रखना और सुचारू रूप से चलाना मूल रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है जो देश के हित के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा करना आवश्यक है।

(33) चूंकि कानून न्यायाधीशों के साथ-साथ न्यायाधीशों को भी बांधता है, इसलिए न्यायपालिका पर विशेष रूप से भरोसा किया जाना चाहिए जब न्यायिक समीक्षा की शक्तियां बेलगाम न हों क्योंकि अदालतें विवेक के क्षेत्र को सीमित करने वाली प्रक्रियाओं, नियमों, उदाहरणों और परंपराओं से बंधी होती हैं।

(34) समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वकीलों और सरकारी तंत्र के अन्य

अंगों का यह पवित्र कर्तव्य है कि वे न्यायाधीशों को भय या चोट के दायरे से परे रखें, जो भय और पक्षपात के बिना न्याय प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

(35) लोगों ने अपने शासन के लिए ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित की है जिसके बारे में उन्हें लगता था कि यह उनकी ख़ुशी के लिए सबसे अधिक अनुकूल होगी। समग्र रूप से समाज और विशेष रूप से वकीलों को प्रत्येक आत्मा में न्यायिक सत्यता की धारणा में अंतर्निहित विश्वास पैदा करना होगा, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसे न्यायिक बिरादरी के सदस्यों द्वारा अपने कार्य और आचरण से अर्जित करना होगा, व्यक्त करना होगा और अंतर्निहित।

(30) स्थानांतरण न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालने वाले सभी खतरों से भरा है और न्यायाधीशों को विभिन्न एजेंसियों के डिजाइनों के प्रति संवेदनशील बनाता है जो संस्था को उन कारणों से नष्ट करने के लिए तैयार हैं जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हैं। इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्राथमिकता दुखद रूप से प्रभावित होगी। तब यह सभी के लिए नि:शुल्क होगा और कोई भी व्यक्ति दण्ड से मुक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायाधीश पर दोषारोपण करेगा जो अपने अलगाव और उसके द्वारा पेशेवर रूप से वांछित आचरण के कारण इसे पूरा करने में सक्षम नहीं होगा यानी खुद को समाज से अलग रखने के कारण।

(37) संविधान में अनुच्छेद 222 द्वारा न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। योजना में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निर्धारित प्रतिपूरक भत्ते के साथ दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरे में स्थानांतरित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है, लेकिन इसका प्रयोग सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए और कोई सामूहिक स्थानांतरण का आदेश नहीं दिया जा सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ता

ने मांग की है। स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग जनहित को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और साथ ही इस प्रक्रिया से स्थानांतरित न्यायाधीशों की छवि को होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखना होगा। एक न्यायाधीश का एकमात्र कमाई का आभूषण उसकी स्वतंत्र और बोर्ड से ऊपर होने की प्रतिष्ठा है, जिसे आगे चलकर एकमात्र व्यावसायिक संतुष्टि भी कहा जा सकता है, जिसे जनता में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, जिसमें न केवल उसकी वास्तविक स्वतंत्रता शामिल होती है। मन ही नहीं बल्कि जनता में हर दृष्टि से अपनी स्वतंत्रता के प्रति जो विश्वास है।

(38) जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता और हो सकता है कि यहां-वहां किसी न्यायाधीश की ओर से हुई किसी चूक ने कुछ संदेह को जन्म दिया हो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्तिगत न्यायाधीश के कुछ कृत्य ने संदेह को जन्म दिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों के विश्वास को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति के हित को समाज के हित के स्थान पर रखना होगा। एक व्यवस्थित समाज के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास सर्वोपरि है। निःसंदेह, जनता न्याय प्रशासन में रुचि रखती है और यदि न्याय प्रशासन के दौरान हममें से किसी ने गलती की है, तो संविधान ने उसके लिए दंड का प्रावधान किया है। बड़ी चूक के लिए महाभियोग और छोटी चूक के लिए स्थानांतरण।

(39) हम यह कहने का साहस कर सकते हैं कि दिए गए अनुमानों के मद्देनजर, हम याचिकाकर्ता द्वारा की गई धारणाओं के लिए दूर-दूर तक कोई आधार नहीं मान सकते हैं और न ही इसमें कोई सार्वजनिक हित शामिल है।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता निराश लोगों में से एक है, जो इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वह एक अधीनस्थ न्यायालय का पूर्व-लिपिक कर्मचारी है, जिसके एसजीएन को उसके करियर की शुरुआत में न्यायिक अधिकारी के पद से बर्खास्त कर दिया गया है।

(40) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गरिमा को उस व्यक्ति द्वारा

हास्यास्पद और हिंसक तरीके से ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो समर्थक जनता के रूप में कार्य करने का दावा करता है, लेकिन जो वास्तव में अपनी व्यक्तिगत चोट से उकसाया गया है। हम यह कहने से खुद को रोक नहीं सकते हैं कि न्यायपालिका की शुचिता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार न्यायपालिका के कुछ प्रमुख अपनी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर प्रचलित विभिन्न कहानियों के कारण विशेष विचारों के आगे झुक गए होंगे और प्रेस में जाकर बड़े पैमाने पर आरोप लगाए होंगे, जिससे कानून प्रदूषित हुआ होगा। न्याय का बहुत बड़ा स्रोत जिसके वे स्वयं संरक्षक थे। हमें इसका कोई कारण नहीं मिलता है कि चूँकि कोई व्यक्ति किसी विषय पर अलग-अलग विचार रखता है, तो उसे दूसरों को अनावश्यक विचारों को मानने वाले के रूप में ब्रांड करना चाहिए, खासकर तब जब वर्तमान न्यायपालिका उनकी उत्तराधिकारी है, जिनकी नियुक्तियों में वे प्रमुख भागीदार थे। हमें वर्तमान न्यायपालिका से पहले के व्यक्तियों द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को अपमानित करने और उन्हें लांछित करने का प्रयास करने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सगे-संबंधियों का उसी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करना कोई नई या हालिया उत्पत्ति की बात नहीं है। यह एक सदी पुरानी परंपरा है. यह अज्ञात नहीं है कि जहाँ पुत्र अपने पिता के समक्ष उपस्थित हुए थे, वहाँ भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का झंडा ऊँचा रखा गया था। न्यायपालिका के ख़िलाफ़ पूर्व-आलोचना और उसे अपमानित करने की प्रेरणा को समझना हमारे बस की बात नहीं है।

(41) कानून या वैधानिक नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए एक परमादेश जारी किया जा सकता है लेकिन विवेक को घोषणाओं या घोषणात्मक, निषेधात्मक या उत्प्रेषण रिट द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। किसी विशेष न्यायाधीश के स्थानांतरण की मांग के लिए, याचिकाकर्ता उचित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। हमारी राय में इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। न्यायालय केवल वही राहतें दे सकता है जिन्हें वह क्रियान्वित करा सके या उसके अनुपालन और कार्यान्वयन की निगरानी कर सके। व्यापक प्रकृति में राहत नहीं दी जा सकती।

(42) हमें डर है कि हम रिट याचिका में दिए गए सुझावों के आधार पर उन्हें सच भी नहीं मान सकते, हालांकि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये निराधार हैं, रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पक्षपात का आरोप एक गंभीर आरोप है, ऐसे आरोपों के आधार पर जांच के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, जो बेतुके और लापरवाह हैं। गंजे को देखते हुए

धारणाओं और अनुमानों पर दिए गए दावों में हस्तक्षेप से बचना ही समझदारी है और इसलिए हम याचिका को कड़ी अस्वीकृति के साथ खारिज करते हैं। हम आशा करते हैं कि याचिकाकर्ता का आचरण। ऐसे लापरवाह बयान देना, जो लोगों को न्यायपालिका में विश्वास खोने के लिए उकसाकर समाज में अराजकता पैदा करने के प्रयास से कम नहीं है, की निंदा की जाएगी और पुराने समाज में रुचि रखने वाले और इसमें विश्वास रखने वाले सभी लोगों द्वारा मजबूत हाथों से इस पर अंकुश लगाया जाएगा। लोकतंत्र, जो हमारे संविधान का आधार पंथ है।

(43) फैसले से अलग होने से पहले, हम अपनी पवित्र इच्छा व्यक्त कर सकते हैं कि राज्य न्यायपालिका की गिरती छवि को पुनर्जीवित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की नीति को लागू करेगा।

(44) उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, रिट याचिका खारिज की जाती है।

आरएनआर

पहले: आरएस मोंगिया, जे.

करतार सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

पटियाला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पटियाला और अन्य, - प्रतिवादी।

*सिविल रिट याचिका संख्या*1992 का 11390

15 मार्च 1993.

*भारत का संविधान,*1950—कला. 226—इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा दुकानों की

नीलामी—आरक्षित मूल्य निर्धारित—उच्चतम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक—नीलामी राशि जमा की गयी—बाद में नीलामी रद्द करने पर—उच्च मूल्य की पेशकश की संभावना—क्या नीलामी को रद्द करने का अच्छा आधार है।

*आयोजित,*यह कि प्रस्तावित कीमत पिछली नीलामी में समान दुकान-सह-फ्लैट साइट द्वारा प्राप्त औसत कीमत से भी अधिक थी। सिर्फ इसलिए कि, बाद में यदि नई नीलामी की जाती है, तो संपत्ति को थोड़ी अधिक कीमत मिल सकती है, लेकिन बिना किसी शर्त के नीलामी को रद्द करने या नीलामी को मंजूरी न देने का कोई आधार नहीं हो सकता है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो शायद नीलामी को मंजूरी दे दी जाएगी, क्योंकि आम तौर पर यदि उसी संपत्ति को थोड़ी देर बाद नीलामी में रखा जाता है, तो इसकी कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा